कार्यालय नियंत्रक प्राधिकारी

(महानिदेशक,गृह रक्षा, राजस्थान,जयपुर)

जलेब चौक,जयपुर।

ई–मेल : psa.hgcd.rj@nic.in फोन नम्बर 0141–2612593

Website: http:// home.rajasthan. gov.in/homeguards

क्रमांकः–प.37(1892)गृरमु/पीएसएएल/2020/14792-94 दिनांकः– 15 DEC 2020

कार्यालय आदेश

मैसर्स–ABSOLUTE SECURITY & FACILITY MANAGEMENT Pvt. Ltd. लाईसेन्स संख्या 756/CD&HG HQ (S-Cell)/2014 दिनांक 19.02.2014 वैद्यता दिनांक 18.02.2024 (निजी सुरक्षा अभिकरण) का इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 5429 दिनांक 23.04.2020 द्वारा प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम 2005 की धारा 16 के तहत वर्ष 2020–21 का वार्षिक निरीक्षण करवाने पर उक्त निजी सुरक्षा अभिकरण द्वारा पसारा अधिनियम 2005 की धारा 09, 10, व 15 एवं राजस्थान प्राईवेट सुरक्षा एजेन्सी (विनियमन) नियम 2006 के नियम 15 व 17 की पालना नहीं करने व प्रावधानों का उल्लघंन करने के कारण उक्त लाईसेन्स को पसारा एक्ट 2005 की धारा 13(2) के तहत इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 9856–58 दिनांक 11.09.2020 द्वारा एक माह के लिये निलम्बित किया जाकर अनुज्ञाधारक श्री रवि कपूर को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 9859–60 दिनांक 11.09.2020 के द्वारा कारण पृच्छा नोटिस जारी किया गया। अनुज्ञाधारक द्वारा दिनांक 01.10.2020 को नोटिस का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि निरीक्षण के दौरान पायी गयी कमियों की पूर्ति कर दी गई है। अनुज्ञाधारक द्वारा निरीक्षण के दौरान पायी गयी कमियों की पूर्ति कर दी गई है अथवा नहीं इसकी जांच हेतु इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 11780 दिनांक 21.10.2020 के द्वारा समादेष्टा, गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, जयपुर को लिखा गया एवं उक्त अभिकरण के लाईसेन्स को निलम्बन के प्रश्न के अवधरित नहीं होने तक इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 11777–79 दिनांक 21.10.2020 द्वारा आगामी आदेश तक निलम्बित किया गया। समादेष्टा, गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, जयपुर ने अपने कार्यालय के पत्र क्रमांक 16447 दिनांक 18.11.2020 के द्वारा उक्त सुरक्षा अभिकरण की जांच रिपोर्ट इस कार्यालय को भिजवाई है। रिपोर्ट का अवलोकन करने पर पाया गया कि उक्त अभिकरण द्वारा निरीक्षण के समय पाई गई अधिकतर अनियमितताओं को दूर कर दिया गया है एवं अनुज्ञाधारक द्वारा प्रस्तुत पालना रिपोर्ट के अनुसार भी वर्तमान में उक्त अभिकरण द्वारा प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम 2005 व राजस्थान प्राईवेट सिक्यूरिटी एजेन्सी (विनियमन) नियम 2006 के प्रावधानों/नियमों की पालना किया जाना पाये जाने पर उक्त अभिकरण के लाईसेन्स 756/CD&HG HQ (S-Cell)/2014 दिनांक 19.02.2014 वैद्यता दिनांक 18.02.2024 (निजी सुरक्षा अभिकरण) को पुनः बहाल किया जाता है।

(यू.आर. साहू IPS)
नियंत्रक प्राधिकारी
(महानिदेशक, गृह रक्षा, राजस्थान)
जयपुर

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. श्री रवि कपूर पुत्र श्री कैलाशचन्द कपूर निवासी डी–103, सोम विहार अपार्टमेन्ट, सेक्टर–10, आर.के. पुरम नई दिल्ली–110022 कार्यालय पता बी–19, करदनी शॉपिंग सेन्टर, सेकण्ड बेस, हरि मार्ग, मालवीय नगर, जयपुर।
2. प्रभारी, कम्प्यूटर शाखा, कार्यालय हाजा को विभागीय वैबसाईट पर सूचना अपलोड करने बाबत्।

(यू.आर. साहू IPS)
नियंत्रक प्राधिकारी
(महानिदेशक, गृह रक्षा, राजस्थान)
जयपुर